

समाहर्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-परसाटांड, थाना-गिरिडीह, थाना सं०-80, अंचल-गिरिडीह, जिला-गिरिडीह में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा ए०डी०बी० सम्पोषित पंचम्बा-जमुआ-श्रवण (पैकेज-2) पथ परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-परसाटांड, थाना-गिरिडीह, थाना सं०-80, अंचल-गिरिडीह, जिला-गिरिडीह में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.0200 एकड़ यानि 0.0081 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है.....






क्र. सं.	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	01	708/1	रैयती	कृषि	0.0070	मोहम्मद इस्तियाक उर्फ मो० लल्लु पिता मोहम्मद इदीश राईन	सड़क	प्लॉट सं० 717	प्लॉट सं० 708	सड़क
2	01	708/2	रैयती	कृषि	0.0040	अज्ञात	सड़क	प्लॉट सं० 717	प्लॉट सं० 708	सड़क
3	01	708/3	रैयती	कृषि	0.0040	संजय मण्डल पिता ब्रम्हदेव मंडल वो श्रीमति रीना देवी पति संजय मंडल	सड़क	प्लॉट सं० 717	प्लॉट सं० 708	सड़क
4	01	708/4	रैयती	कृषि	0.0050	अज्ञात	सड़क	प्लॉट सं० 717	प्लॉट सं० 708	सड़क
कुल					0.0200					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।





भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह के कार्यालय में किसी कार्य दिवस की कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या

भू-वेद्यन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह और उनके कर्मचारी.....को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपतियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

 अमीन गिरिडीह।
 कानूनगो गिरिडीह।
 31/01/2020 जिला भू-अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह।
 31/01/2020 अपर समाहर्ता गिरिडीह।
 31/01/2020 समाहर्ता गिरिडीह।

- ज्ञापांक..... 21/4/20 / भू0अ0 दिनांक... 03-02-2020
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
 - प्रतिलिपि :- सूचना विज्ञान पदाधिकारी N.I.C. गिरिडीह को वेबसाईट www.giridih.nic.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
 - प्रतिलिपि :- प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, गिरिडीह को जिला गिरिडीह के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
 - प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, गिरिडीह/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं जिला परिषद/संबंधित ग्राम पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 - प्रतिलिपि :- जिला अवर निबंधक, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 31/01/2020
 जिला भू-अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह।
 29/1/2020
 31/01/2020 अपर समाहर्ता गिरिडीह।
 31/01/2020 समाहर्ता गिरिडीह।